

कार्यालय प्राचार्या, राजकीय महाविद्यालय मोरनी (पंचकूला)

सूचना (NOTICE)

दिनांक: 11.04.2026


सभी विद्यार्थियों एवं स्टाफ सदस्यों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय परिसर एवं उसके आसपास के क्षेत्र को नशामुक्त (Drug-Free Zone) घोषित किया गया है।

- 1 यदि कोई भी विद्यार्थी या स्टाफ सदस्य महाविद्यालय परिसर में नशा करते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध निम्नलिखित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। प्रथम बार - पत्र के माध्यम से चेतावनी दी जाएगी। द्वितीय बार - ₹2000/- का जुर्माना, तृतीय बार - ₹5000/- का जुर्माना लगाया जाएगा तथा कड़ी प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
- 2 नशा संबंधी जानकारी देने वाले विद्यार्थियों/स्टाफ को सत्यापन उपरांत प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रथम बार -500/-, द्वितीय बार -1000/-, तृतीय बार -1500/-

सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय के नियमों का पालन करें एवं एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं नशामुक्त वातावरण बनाए रखने में सहयोग दें।


(प्राचार्या)

राजकीय महाविद्यालय
मोरनी पंचकूला


इ.राज